

1746000/



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

Signature  
CC Name-AMIT KUMAR ACC Code-UP140603  
Address-Sahjanwa Mobile-9651919016  
License No.-14 Tansi Sahjanwa

e-Stamp

5856/22

Certificate No. : IN-UP48561780346485U  
 Certificate Issued Date : 14-Nov-2022 10:49 AM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14568304/ SAHJANWA/ UP-GRK  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1456830489981897852171U  
 Purchased by : NEELAM RAI W O SUNIL KUMAR SINGH AND OTHER  
 Description of Document : Article 35 Lease  
 Property Description : PLOT NO A-15 SECTOR-5 GIDA GORAKHPUR  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : GIDA GORAKHPUR  
 Second Party : NEELAM RAI W O SUNIL KUMAR SINGH AND OTHER  
 Stamp Duty Paid By : NEELAM RAI W O SUNIL KUMAR SINGH AND OTHER  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
 (One Hundred only)



E-Stamp  
Verified & Locked 15/11/2022



(संजीव कुमार गौतम)  
लेखाकार  
गोरखपुर



Neelam Rai



Sunil Kumar  
Singh



Statutory Alert:

The authenticity of the Stamp certificate should be verified at [www.indianstamp.gov.in](http://www.indianstamp.gov.in) or using a Stamp Mobile App of Indian Post. Any discrepancy in the details of the Certificate will be available on the website. Before any financial transaction, the user should check the validity of the certificate. In case of any discrepancy, the user should report it to the concerned authorities.



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

CC Name-NEELAM KUMAR ACS Code-UP/45/2022  
Address-Sahjanwa Mobile-9651919036  
Location-Mc-14 Tahsil-Sahjanwa District-Gorakhpur

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP48610002498843U  
 Certificate Issued Date : 14-Nov-2022 11:08 AM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14568304/ SAHJANWA/ UP-GRK  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1456830489950536998606U  
 Purchased by : NEELAM RAI W O SUNIL KUMAR SINGH AND OTHER  
 Description of Document : Article 35 Lease  
 Property Description : PLOT NO A-15 SECTOR-5 GIDA GORAKHPUR  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : GIDA GORAKHPUR  
 Second Party : NEELAM RAI W O SUNIL KUMAR SINGH AND OTHER  
 Stamp Duty Paid By : NEELAM RAI W O SUNIL KUMAR SINGH AND OTHER  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,37,200  
 (Two Lakh Thirty Seven Thousand Two Hundred only)



E-Stamp  
Verified & Locked

6/15/2022

Please write or type below this line

Signature

(शुभो कुमार गोतम)  
बेचकार  
गोरखपुर

Neelam Rai



Sunil Kumar Singh



PU 0000928210

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp duty paid amount is verified at www.uptax.gov.in or at any of the Stamp Duty Collection Centres.

**लीज डीड (पट्टा विलेख)**  
**(न्यू गोरखपुर आवासीय योजना, सेक्टर-05)**

यह लीज डीड आज दिनांक.../.../... माह.../.../... सन् 2022 को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर द्वारा श्री संजीव कुमार गौतम, लेखाकार, गीडा, गोरखपुर जिसे आगे प्रथम पक्ष से सम्बोधित किया जायेगा।

व

नीलम राय पत्नी श्री सुनील कुमार सिंह एवं सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री दया शंकर सिंह, निवासी-पूर्वी कन्नौजिया वार्ड, यू0एन0पी0जी0 कालेज के पीछे, पड़रौना, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274304 जिसे आगे द्वितीय पक्ष से सम्बोधित किया जायेगा, के मध्य निम्न शर्तों के अधीन पट्टा विलेख निष्पादित किया जाता है:-

1- यह कि प्रथम पक्ष को भूखण्ड संख्या ए-15, सेक्टर सं0-05, क्षेत्रफल 392.00 वर्ग मीटर गीडा की न्यू गोरखपुर आवासीय योजना (फेज प्रथम) के अन्तर्गत, जिसका विवरण इस पट्टा विलेख के अन्त में दिया गया है, का कानूनी तौर पर हस्तान्तरित करने का अधिकार है।

2- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूखण्ड को आवंटन की तिथि से 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लेने के लिए सहमत है एवं उक्त भूखण्ड का प्रोविजनल प्रीमियम रुपया-3,72,400.00 (रुपया तीन लाख बहत्तर हजार चार सौ) मात्र है। लिहाजा प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को आवंटन की तिथि से 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा-विलेख अधिकार हस्तान्तरण इस पट्टा विलेख के निम्न शर्तों के तहत करने को तैयार है।

3- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपरोक्त भूखण्ड का लीज रेंट निम्नानुसार अदा किया जायेगा:-


प्रथम	30 वर्ष	20 पैसा प्रति वर्ग मीटर	प्रतिवर्ष
अगले	30 वर्ष	50 पैसा प्रति वर्ग मीटर	प्रतिवर्ष
आखिरी	30 वर्ष	रु. 1.00 प्रति वर्ग मीटर	प्रतिवर्ष


प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि भविष्य में पट्टे पर दी जाने वाली भूमि को फ्री-होल्ड में बदला जाता है तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर अतिरिक्त धनराशि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की जायेगी।


4- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपरोक्त भूखण्ड का सम्पूर्ण देय प्राविजनल प्रीमियम रुपया-3,72,400.00 (रुपया तीन लाख बहत्तर हजार चार सौ) एवं ब्याज गीडा की निधि में जमा कर दिया गया है।

5- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त भूखण्ड की समस्त देय धनराशि का भुगतान प्रथम पक्ष को कर देने एवं आवंटन पत्र में पट्टा विलेख निष्पादन हेतु वर्णित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम पक्ष द्वारा विधिवत पट्टा-विलेख द्वितीय पक्ष के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है।

6- यह कि हस्तान्तरित भूखण्ड पर द्वितीय पक्ष द्वारा कोई भी निर्माण करने से पूर्व प्रथम पक्ष से उक्त निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति कराना अनिवार्य होगा। कोई भी निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृत कराये नहीं किया जायेगा। भवन निर्माण हेतु

  
संजीव कुमार (गौतम)  
लेखाकार  
गीडा, गोरखपुर

  
Neelam Rai

  
Sanjal Kumar  
Singh

समय-समय पर उ0प्र0 शासन अथवा गीडा ( प्रथम पक्ष ) द्वारा लागू भवन निर्माण उप विधि के समस्त नियम/प्राविधान द्वितीय पक्ष पर लागू होंगे।

7- यह कि उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को "जहाँ है जैसा है" के आधार पर किया गया है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार भूखण्ड को समतल कराना, आदि कार्य अपने खर्चे पर कराने होंगे। गीडा द्वारा यथासम्भव अवस्थापना सुविधाओं का विकास इस योजना में किया गया है। आवंटन स्वीकार करने पर यह अर्न्तनिहित है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त विकास कार्यों की स्थिति योजना स्थल पर देख ली है तथा उससे संतुष्ट होकर ही यह पट्टा विलेख निष्पादित करा रहे हैं।

8- यह कि बदली हुई परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित भूखण्ड के प्रीमियम में संशोधन/वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा और इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को पत्र अथवा समाचार पत्रों में विज्ञापित के माध्यम से दी गयी सूचना पर्याप्त मानी जायेगी जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि के अन्दर करना होगा।

9- यह कि उपरोक्त योजना हेतु भूमि का अर्जन भूमि अधिग्रहण अधि.नेयम 1894 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित भू स्वामियों को अर्जित भूमि के सापेक्ष मुआवजा भुगतान के पश्चात् किया गया है। यदि भविष्य में किसी पूर्व भू-स्वामी द्वारा दायर सन्दर्भ वाद/अपील/रिट पिटीशन/एस0एल0पी0 आदि के केस में न्यायालय के निर्णय में मुआवजे की राशि बढ़ाये जाने का आदेश दिया जाता है तो इस प्रकार मुआवजे की बढ़ी धनराशि के भुगतान का पूर्ण दायित्व स्वमेव द्वितीय पक्ष पर स्थानान्तरित हो जायेगा। द्वितीय पक्ष को इस प्रकार बढ़ी धनराशि का भुगतान उसे आवंटित पट्टाशुदा क्षेत्रफल एवं योजना के ले-आउट प्लान के अनुसार बिक्री योग्य क्षेत्रफल के अनुपात में करना होगा। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में गीडा द्वारा एक मांग पत्र द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर द्वितीय पक्ष को वांछित धनराशि का भुगतान करना होगा। मुआवजे की बढ़ी धनराशि के सापेक्ष द्वितीय पक्ष को जिस धनराशि का भुगतान करना है, का विवरण उक्त मांग पत्र में दिया जायेगा। यदि उपर्युक्त वर्णित धनराशि का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा गीडा को निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्रथम पक्ष को उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल करने का अधिकार होगा।

10- यह कि समय-समय पर नगर निगम, स्थानीय निकाय/पंचायत, सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड पर लगाये गये समस्त कर या शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे तथा प्रथम पक्ष को इससे कोई वास्ता सरोकार नहीं होगा।

11- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अवस्थापना सुविधा यथा-सड़क, नाली, बिजली, जलापूर्ति इत्यादि के अनुरक्षण के सम्बन्ध में गीडा प्राधिकारी के द्वारा पारित समस्त नियम/शर्तें/आदेश मानने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

12- यह कि यदि किसी भी समय पाया जाता है कि द्वितीय पक्ष द्वारा कोई असत्य सूचना देकर अथवा तथ्य छुपाकर उपरोक्त भूखण्ड को आवंटित करा लिया गया है, तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि पंजीयन/आवंटन/अनुबन्ध विलेख/पट्टा विलेख निरस्त करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गयी धनराशि को नियमानुसार जब्त कर ले तथा उपरोक्त भूखण्ड व उस पर स्थित सम्पूर्ण निर्माण/सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त कर ले।

*Sanjiv Kumar*  
Neelam Rai

*Sunil Kumar*  
Singh

(संजीव कुमार गौतम)

लेखक

गीडा, गोरखपुर

- 13- यह कि यदि द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित भूखण्ड का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के रूप में न करके किसी अन्य उपयोग में लाया जाता है तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि आवंटित भूखण्ड का पंजीयन/आवंटन/अनुबन्ध विलेख/पट्टा विलेख निरस्त करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गयी धनराशि को नियमानुसार जब्त कर ले तथा उपरोक्त भूखण्ड व उस पर स्थित सम्पूर्ण निर्माण/सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त कर ले।
- 14- यह कि यदि द्वितीय पक्ष इस पट्टा विलेख एवं आवंटन पत्र की किसी शर्त को पूरा करने में असमर्थ होता है तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष को सूचित करके इस पट्टा विलेख को निरस्त कर सकता है, और उस स्थिति में अग्रिम धनराशि के रूप में जो भी धन प्रथम पक्ष के पास जमा है, वह नियमानुसार जब्त हो जायेगा और प्रथम पक्ष को उपरोक्त भूखण्ड को किसी अन्य के पक्ष में आवंटित करने के लिए स्वतंत्र होगा। पुनः आवंटन के उपरान्त प्रथम पक्ष को मिली धनराशि यदि कम हुई तो शेष धनराशि को द्वितीय पक्ष से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 15- यह कि इस पट्टा विलेख के प्रभाव की अवधि में, प्रथम पक्ष की लिखित अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष को उपरोक्त भूखण्ड का विक्रय/हस्तान्तरण/विभाजन करने का अधिकार नहीं होगा। हस्तान्तरण की दशा में द्वितीय पक्ष को, गीडा के तत्समय लागू नियमानुसार हस्तान्तरण शुल्क का भुगतान प्रथम पक्ष के पक्ष में करना होगा।
- 16- यह कि पट्टा शुदा भूखण्ड के द्वितीय पक्ष द्वारा किसी अन्य के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने की दशा में यदि कोई विलेख निष्पादित होता है तो उसके हस्तान्तरण के सम्बन्ध में होने वाले व्यय जैसे - स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री शुल्क आदि का व्यय द्वितीय पक्ष या उसके अन्तर्ती को वहन करना होगा।
- 17- यह कि पट्टा शुदा भूखण्ड का हस्तान्तरण बिना हस्तान्तरण शुल्क के, द्वितीय पक्ष के पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, पौत्र, पौत्री के पक्ष में नियमानुसार किया जा सकेगा।
- 18- यह कि द्वितीय पक्ष की मृत्यु हो जाने की दशा में प्रथम पक्ष द्वारा पट्टा शुदा भूखण्ड, मृतक के उत्तराधिकारी के पक्ष में नियमानुसार बिना हस्तान्तरण शुल्क के हस्तान्तरित किया जा सकेगा। ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारी को प्रथम पक्ष की उत्तराधिकार सम्बन्धी संतुष्टि हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 19- यह कि प्रथम पक्ष के लिखित अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूखण्ड या किसी हिस्से को किसी अन्य को किराये पर नहीं दे सकता है।
- 20- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन को अच्छी दशा में रखेगा और समय-समय पर मरम्मत करवायेगा तथा भूखण्ड/भवन को निर्धारित उपयोग में लायेगा। वह इस भूखण्ड/भवन पर या उसके किसी हिस्से पर न तो स्वयं और न तो किसी अन्य द्वारा ऐसे कार्य या व्यवसाय करेगा जो पड़ोसी को क्लेशकारक हो या वह कार्य/व्यवसाय जन पीड़ा की श्रेणी में आता हो।
- 21- यह कि द्वितीय पक्ष अपने भूखण्ड/भवन में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के घोड़ा, दुधारु पशु, बिल्ली, कुत्ता सुअर आदि जीव जन्तु नहीं पाल सकते हैं जो पड़ोसी को पीड़ा पहुंचायें और उसके अध्ययन में कोई अवरोध उत्पन्न हो।
- 22- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अपने भूखण्ड का उपयोग किसी प्रकार के सार्वजनिक स्थल/ धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(संजीव कुमार गौतम)

लेखक  
गीडा, नौरखपुर



Neelam Rai

Sunil Kumar Singh



- 23- यह कि उपरोक्त भूखण्ड में यदि कोई भूमिगत जलापूर्ति लाईन, नाला, सीवर, विद्युत एवं टेलीफोन के तार भूखण्ड के नीचे से अथवा ऊपर से गीडा के विकास हेतु निकाला जाना आवश्यक हो तो उक्त कार्य सम्पादन हेतु प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह कराये। द्वितीय पक्ष इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा।
- 24- यह कि प्रथम पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मजदूरों आदि को अधिकार होगा कि वे उपरोक्त भूखण्ड एवं उस पर निर्मित भवन में यथोचित कारण एवं यथोचित समय पर प्रवेश कर सकें तथा किये जा रहे निर्माण/विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण कर सकें। द्वितीय पक्ष कोई आपत्ति नहीं करेगा।
- 25- यह कि जब तक कुल शेष भूमि प्रोविजनल प्रीमियम एवं उस पर निर्धारित दर से देय ब्याज का पूर्ण भुगतान गीडा को नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक भूमि एवं उस पर स्थापित सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार प्रथम पक्ष का होगा।
- 26- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किये गये भुगतान की धनराशि का समायोजन सर्व प्रथम ब्याज के मद में, (यदि कोई हो) तत्पश्चात प्रीमियम के मद में, (यदि कोई हो) तत्पश्चात, लीज रेन्ट/उपयोग शुल्क, तत्पश्चात रख-रखाव शुल्क एवं उसके बाद जलापूर्ति चार्ज आदि के मद में किया जायेगा।
- 27- यह कि यदि द्वितीय पक्ष निर्धारित किशतों की अदायगी निर्धारित समयावधि में नहीं कर पाता है तो उपरोक्त भूखण्ड/भवन को तुरन्त प्रथम पक्ष को अर्पित तथा उसके हवाले करेगा। यदि द्वितीय पक्ष ऐसा नहीं करता है तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त भूखण्ड का पंजीयन/आवंटन/अनुबन्ध विलेख/पट्टा विलेख निरस्त करते हुए भूखण्ड व उस पर स्थित सम्पूर्ण निर्माण एवं सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लें।
- 28- यह कि यदि उपरोक्त भूखण्ड के सापेक्ष समस्त देय धनराशि का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा गीडा को निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज (रिकवरी आफ ड्यूज) ऐक्ट तथा उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं उक्त अधिनियमों में समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अन्तर्गत दरूल करने का प्रथम पक्ष को अधिकार होगा।
- 29- यह कि इस पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण में जो भी व्यय होगा उसे द्वितीय पक्ष वहन करेगा।
- 30- यह कि उपरोक्त भूखण्ड के पंजीयन, आवंटन, अनुबन्ध, पट्टा विलेख एवं उपयोग आदि हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-6, 1976) तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के प्राविधान लागू होंगे।
- 31- यह कि यदि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी समय उपरोक्त भूखण्ड के पंजीकरण, आवंटन, कब्जा अनुबन्ध विलेख/पट्टा विलेख आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस सम्बन्ध में आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी माना जायेगा।
- 32- यह कि यदि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य उपरोक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी समय पंजीकरण, आवंटन, कब्जा, विकास व निर्माण आदि से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होता है, उक्त विवाद का क्षेत्राधिकार गोरखपुर के स्थानीय सक्षम न्यायालय का होगा।

*Sanjiv Kumar*  
Meelan Rai

(संजीव कुमार गौतम)

लेखाकार  
गीडा, गोरखपुर

*Sunil Kumar Singh*



- 33- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्गत पंजीकरण पुस्तिका व आवंटन पत्र संख्या 21 दिनांक 02.01.2003 एवं हस्तान्तरण आदेश संख्या-3833 दिनांक 11-02-2022 में वर्णित समस्त शर्तों एवं नियमों का अध्ययन द्वितीय पक्ष द्वारा विधिवत कर लिया गया है और उपरोक्त सभी शर्तें एवं नियम द्वितीय पक्ष को स्वीकार है। इसके साथ ही साथ समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं गीडा द्वारा समय-समय पर लागू/संशोधित नियमों के पालन की बाध्यता भी उभय पक्षों पर होगी।
- 34- यह कि यह पट्टा विलेख द्वितीय पक्ष के अनुरोध पर नियमानुसार वांछित स्टैम्प शुल्क ₹ 2,37,300.00 के पेपर पर निष्पादित किया जा रहा है, यदि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कभी स्टैम्प ड्यूटी में कोई दण्ड या शुल्क आरोपित किया जाता है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा प्रथम पक्ष को इससे कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा। यह कि इस पट्टा विलेख के पंजीयन के पूर्व ही द्वितीय पक्ष को कब्जा हस्तगत कराया जा चुका है।
- 35- यह कि पूर्व में उपरोक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या क0 नि0-5-3189/118-2002-500(35)/2000 दिनांक 22.07.2002 के अनुसार दिनांक शून्य को आरोपित स्टैम्प ड्यूटी मु0ब0 शून्य ₹0 इस पट्टा विलेख के निष्पादन के समय समायोजित किया जा रहा है।
- 36- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अपने भूखण्ड पर गीडा के अधिसूचित क्षेत्र से न तो मिट्टी लाई जायेगी और न ही गीडा क्षेत्र में से किसी भूखण्ड से मिट्टी निकाली जायेगी। यदि मेरे भूखण्ड पर गीडा के अधिसूचित क्षेत्र से कभी भी मिट्टी लाते हुए या निकालते हुए पाया जाय तो उसका पूरा हर्जाना मेरे द्वारा भरा जायेगा तथा मेरा आवंटन भी निरस्त कर दिया जाय।
- 37- द्वितीय पक्ष द्वारा अपने भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु समस्त निर्माण सामग्री यथा सम्भव अपने भूखण्ड परिसर में रखेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा करना सम्भव न हो तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा इस प्रकार के अस्थायी सामग्री भण्डारण से गीडा की परिसम्पत्तियों (रोड, ड्रेन, जलापूर्ति पाईप लाईन, विद्युत लाईन, वृक्षा रोपण आदि) को नुकसान न हो तथा आवागमन बाधित न हो। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।
- 38- द्वितीय पक्ष द्वारा अपने भूखण्ड पर पहुँच मार्ग हेतु बनायी जाने वाली कल्वर्ट का टॉप लेवल सम्मुख सड़क के टॉप लेवल से ऊपर नहीं होगा, साथ ही एप्रोच मार्ग एवं कल्वर्ट के निर्माण से सम्मुख स्थित ड्रेन एवं जलापूर्ति पाईप लाईन का अनुरक्षण प्रभावित न हो।
- 39- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा भूखण्ड पर कराये जाने वाले निर्माण की संरचनात्मक सुरक्षा के सन्दर्भ में समय-समय उ0 प्र0 शासन अथवा गीडा द्वारा लागू निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 40- यह कि भवन मानचित्र स्वीकृति के पूर्व द्वितीय पक्ष द्वारा आवंटित भूखण्ड पर, प्रथम पक्ष/उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्धारित संख्या/मानक के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- 41- यह कि आवंटि को भवन निर्माण में उ0 प्र0 सरकार द्वारा जल संरक्षण के दृष्टिगत जारी शासनादेशों के अनुरूप आवंटित क्षेत्र में रेन हार्वेस्टिंग का निर्माण आवश्यक होगा।

*Sanjiv Kumar*

(संजीव कुमार गौतम)

लेखाकार

बिलासपुर, गोरखपुर

*Neelam Rai*



*Sunil Kumar Singh*



आवेदन सं०: 202200949007172

पट्टा विलेख(30 वर्ष से अधिक)

बही सं०: 1


रजिस्ट्रेशन सं०: 5656

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 4744000 स्टाम्प शुल्क- 237300 बाजारी मूल्य - 4746000 पंजीकरण शुल्क - 47460 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 47520

श्रीमती नीलम राय,  
सुनील कुमार सिंह  
व्यवसाय : शिक्षक  
निवासी: निवासी पूर्वी कन्नौजिया वार्ड यू0यन0पी0जी0 कालेज के पीछे पड़रौना जनपद  
कुशीनगर

*Neelam Rai*



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/11/2022 एवं 01:06:32 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम शंकर दूबे (प्र०)

उप निबंधक सहजनवा


गोरखपुर

15/11/2022

प्रेम शंकर दूबे

निबंधक लिपिक

15/11/2022





42- भूखण्ड के आवंटन के पश्चात 2 वर्ष के अन्दर आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड पर नियमानुसार निर्माण न करने की दशा में गीडा द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार समय 12-02-2019 के मद संख्या 53:13 के अनुसार जारी गीडा कार्यालय आदेश संख्या 3611 दिनांक 12-03-2019 में उक्त तिथि तक संशोधित माना जायेगा।

43- यह कि यह पट्टा विलेख उभय पक्षों ने खूब सोच समझ कर स्वस्थ चित से बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से निष्पादित किया जो वक्त जरूरत पर काम आये। भूखण्ड का विवरण व चौहद्दी (संलग्न साईट प्लान के अनुसार) निम्न प्रकार है:-  
प्रश्नगत भूखण्ड का विवरण जिसके बावत पट्टा विलेख किया जा रहा है:-

भूखण्ड संख्या ए-15 सेक्टर सं0-05


क्षेत्रफल 392.00 वर्ग मीटर, राजस्व ग्राम-बरवारखुर्द

- 1- पूरब- भूखण्ड संख्या-ए-16
- 2- पश्चिम- भूखण्ड संख्या-ए-14
- 3- उत्तर- ग्रीन-बेल्ट
- 4- दक्षिण- 12.00 मीटर तक चौड़ी सड़क

गवाह

(1)

(2)


  
(संजीव (हस्ताक्षर प्रथम पक्ष))


कृते गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।


गीडा, गोरखपुर


गवाह


(1)


  
Neelam Rai

  
Sunil Kumar Singh

(2)   
Rajmohan Singh

  
Adarsh Sehgal

  
(नीलम राय एवं सुनील कुमार सिंह)

  
(हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष)

आवेदन सं०: 202200949007172

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5656

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री प्रबन्धक सम्पति के द्वारा संजीव कुमार गौतम लेखाकार,  
पुत्र श्री

निवासी: सा0 प्रबन्धक गीडा गोरखपुर

व्यवसाय: नौकरी

पट्टा गृहीता: 1



श्रीमती नीलम राय, सुनील कुमार सिंह

निवासी: निवासी पूर्वी कन्नौजिया वार्ड यू0यन0पी0जी0 कालेज  
के पीछे पड़रौना जनपद कुशीनगर

व्यवसाय: शिक्षक

पट्टा गृहीता: 2



श्री सुनील कुमार सिंह, दयाशंकर सिंह

निवासी: निवासी पूर्वी कन्नौजिया वार्ड यू0यन0पी0जी0 कालेज  
के पीछे पड़रौना जनपद कुशीनगर

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, पुत्र श्री चित्रकूट पाण्डेय

निवासी: सा0 डोहरिया कला तहरील सहजनवां जनपद, गोरखपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2




श्री राघवेंद्र सिंह एडवोकेट, पुत्र श्री चन्द्र देव सिंह

निवासी: तहसील कोर्ट सहजनवां जनपद गोरखपुर

व्यवसाय: वकालत

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।

टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम शंकर टंडन (ए०)

उप निबंधक: सहजनवा

गोरखपुर

15/11/2022

## उद्घोषणा

(ऐसे भूखंड के सम्बन्ध में जो किसी अन्य को आवंटित रहा है)

1. मैं नीलम राय पत्नी श्री सुनील कुमार सिंह एवं सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री दया शंकर सिंह निवासी ग्राम-पूर्वी कन्नौजिया, वार्ड, यू०एन०पी० जी० कालेज के पीछे, पड़रौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश 274304 एक मात्र मालिक लेसी भूखंड संख्या A-15 सेक्टर 5 क्षेत्रफल 392 वर्गमीटर न्यू आवासीय योजना फेज प्रथम जिसकी चौहद्दी 1. पूरब -भूखंड संख्या A-16 2. -भूखंड संख्या A-14 3. उत्तर-ग्रीन बेल्ट 4. दक्षिण -12 मीटर तक चौड़ी रोड गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यह घोषणा करते हैं कि मैंने लीज डीड पढ़ लिया है तथा सभी शर्तों को समझ लिया है और सभी शर्तों को बिना दबाव स्वीकार करता हूँ। मुझे यह भी कथन करना है कि मेरे वारीसान, विधिक उत्तराधिकारी को अनुबंध विलेख के सभी शर्तों पर पाबंदी होगी तथा उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।
2. मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि पूर्व में उपरोक्त भूखंड श्री शहनवाज फैयाज पुत्र मोहम्मद फैयाजुद्दीन निवासी मिया बाजार, पश्चिमी फाटक लाल कोठी फ्लैट संख्या 6 जिला गोरखपुर को जरिए आवंटन संख्या 21 दिनांक 02/01/2003 व अनुबंध विलेख दिनांक 01/11/2003 जो उप निबंधक कार्यालय सहजनवा में पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 548 के पृष्ठ संख्या 385 से 432 पर असल नम्बर 2973 व मूसन्ना 2974 मय नक्शा पर आरोपित स्टैम्प ड्यूटी 29940 रुपये पर निबंधित है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है।
3. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि अगर पूर्व आवंटित/लेसी न्यायालय में कोई कार्यवाही करते हैं तथा मुझे भूखंड के कब्जा प्राप्त होने व किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के कारण कब्जा प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो उस संबंध में होने वाली सम्पूर्ण हानि व खर्चों को मैं स्वयं वहन करूंगा और गीडा से उससे कोई मतलब व सरोकार नहीं होगा तथा गीडा को उसमें किसी प्रकार का खर्चा वहन नहीं करना पड़ेगा और उक्त सभी खर्चा मैं स्वयं वहन करूंगा।

गवाह :-

- 1.
- 2.

(संजी हस्ताक्षर प्रथम पक्ष)

कृते गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

गोडा, गोरखपुर

गवाह :-

- 1.
- 2.

Raghendar Singh Adhikari  
Sahjanwa (Gorakhpur)

(हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष)

(नीलम राय, सुनील कुमार सिंह)


Neelam Rai

Sunil Kumar  
Singh

आवेदन सं०: 202200949007172

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 4507 के पृष्ठ 1 से 18 तक क्रमांक 5656 पर  
दिनांक 15/11/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रेम शंकर दूबे (प्र०)

उप निबंधक : सहजैवा


गोरखपुर

15/11/2022



RUK INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, SECTOR-7, GIDA, GORAKHPUR  
NEW GORAKHPUR HOUSING SCHEME, SECTOR NO. 05 GIDA, G.P.  
PLOT NO. A-15 AREA - 392.4 Sqm.

ALLOWED TO SMT. NEELAM RAJ & SUNIL KUMAR SINGH



N  
PLAN NOT TO SCALE

Smt. Neelam Raj  
Sunil Kumar Singh